



# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

Credible Chhattisgarh  
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक... 780 / 2015

दिनांक 22/12/2015

विषय:-संस्थाओं को मण्डल की संपत्ति क्रय पर मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा वर्तमान में अविक्रित संपत्ति को विक्रय हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना में शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को भवनों के मूल्य में 10 प्रतिशत छूट तथा "प्रथम आओ-प्रथम पाओ आदि निर्णय लिए गए हैं। शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं के द्वारा भवनों के मूल्य पर छूट की मांग की जा रही है।

मण्डल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक-674 / 2015 दिनांक 07.11.2015 द्वारा आदेश जारी किया गया है कि शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाएँ 10 या उससे अधिक भवन एकमुश्त राशि जमा कर क्रय करते हैं तो उन्हें भी भवनों के मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाए। इससे मण्डल कि रिक्त संपत्ति का तीव्रता से विक्रय तथा अवरुद्ध राशि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी। यह आदेश कमजोर आय वर्ग (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) भवनों हेतु प्रभावी नहीं है। उक्त आदेश 31 दिसम्बर 2015 तक प्रभावशील है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मेलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-09 संकल्प क्रमांक 1350-09/49/12/2015 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आयुक्त


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
रायपुर

पृ.क्र. 2860/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.- /15 रायपुर, दिनांक 22/12/2015

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।

5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03, रायपुर /दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/ रायगढ़/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

  
आयुक्त  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
रायपुर